

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश
शहरी हरियाली नीति के दिशा-निर्देश पर अनुमोदन

लखनऊ: 20 जून 2025

भारत में शहरी हरित नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। यह नीति सतत विकास, हरित पहल करके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश इस व्यापक नीति को लागू कर रहा है, जो शहरी योजना और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश की शहरी हरियाली नीति का उद्देश्य राज्य के सभी 762 नगरीय निकाय (ULBs) में शहरी हरियाली का विकास करना, जलवायु परिवर्तन शमन को शक्तिशाली बनाना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह नीति विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक पहलों के माध्यम से शहरी हरियाली, जलवायु सहनशीलता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

निकायों (ULBs) द्वारा उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं की वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्ट विभाग के स्तर पर आकलित की जायेगी। टूलकिट में दिए गए मापदंडों को निकाय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा और एक आंतरिक समिति द्वारा त्रैमासिक और एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ता द्वारा वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। इन आकलनों के आधार पर अल्टीमेट ग्रीन सिटी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार की योजनाओं जैसे UPAVAN, स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना, मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना (CMGRIDS), मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (सीएमवीएनवाई), मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सीएमएनएसवाई) और राज्य जलवायु कार्य योजना (State Climate Action Plan) के मध्य समन्वय द्वारा बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिससे समेकित और एकीकृत कार्य सुनिश्चित किए जा सकें। शहरी हरियाली को प्रभावी और समग्र रूप से क्रियान्वित करने के लिए एन०सी०ए०पी० (NCAP), अमृत, एसबीएम-2.0, स्मार्ट सिटी मिशन आदि में राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को सम्पूर्ण रूप से एकीकृत किया जाएगा। शहरी विकास फ्रेमवर्क का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों में हरियाली पहलों को लागू करने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे व्यापक शहरी हरियाली और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हो सके।

सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग (GCM) के तहत शहरों को रैंक करने के लिए एक ग्रीन स्टार रेटिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। जो शहरी हरियाली नीति के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन के आधार पर शहरों को रैंक करेगी और इसके तहत शहर को सर्वोत्तम हरित शहर (अल्टीमेट ग्रीन सिटी) बनाया जा सकेगा।

सम्पर्क सूत्र— अमित यादव

राघववेन्द्र / 05:00 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई०पी०बी०एक्स०: 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं० : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upssoचना@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in